PRABHAT KHABAR, Muzaffarpur, 5.12.2024
Page No. 3, Size:(23.73)cms X (19.01)cms.

विदेश में नौकरी का लालच देकर मानव तस्करों ने 25 लाख में बेचा

अंतरराष्ट्रीय मानव तस्कर गिरोह का शिकार युवक पहुंचा मानवाधिकार आयोग

संवाददाता,मुजफ्फरपुर

विदेश में नौकरी का लालच देकर पूर्वी चंपारण के एक युवक को 25 लाख में बेच दिया गया है. पीड़ित किसी तरह जान बचा कर घर भाग गया. उसने अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से बिहार मानवाधिकार आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दर्ज करायी है. अधिवक्ता ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसके तार मुजफ्फरपुर जिले से जुड़े हुए हैं. पीड़ित युवक मोहम्मद इमरान पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर थाना अंतर्गत भवानीपुर गांव का रहने वाला है.

पीड़ित ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले के एक व्यक्ति ने उसे विदेश में अच्छे पद पर नौकरी और ऊंची सैलरी का झांसा देकर मालदीव भेज दिया. वहां उसे मानव तस्करों के हाथों 25 लाख रुपये में बेच दिया . वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस घर आ पाया है. युवक ने बताया कि उक्त व्यक्ति ने नौकरी के नाम पर उसके परिवार से 2 लाख रुपये भी ठग लिए थे, जो उसने वापस भी नहीं किये. पीड़ित की ओर से मानवाधिकार आयोग में मामले की पैरवी कर रहे मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि पूरे उत्तर बिहार में मानव तस्करों का गिरोह काफी सक्रिय है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं.

जिला प्रशासन सहित सरकार को अविलम्ब ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.बता दें कि पांच दिन पहले ही गोपालगंज में मानव तस्करी के मामले में एनआइए ने छापेमारी की थी. करजा थाना के चमरुआ से मामला जुड़ने के बाद यहां भी मो आबिद के घर पर छापेमारी की गयी थी. बिहार के युवकों को कंबोडिया भेजने का मामला सामने आया था.

AAJ, Patna, 5.12.2024
Page No. 9, Size:(17.07)cms X (18.97)cms.

मानव तस्करी को लेकर मनवाधिकार आयोग में मामला दर्ज

मुजफ्फरपुर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसके तार मुजफ्फरपुर जिले से जुड़े हुए है। पीड़ित युवक मोहम्मद इमरान पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर थाना अंतर्गत भवानीपुर गाँव का रहने वाला है। पीड़ित युवक ने मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा के माध्यम से बिहार मानवाधिकार आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दर्ज कराई है।

पीड़ित ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले के मो. कैफ़ी नसीम नामक व्यक्ति ने उसे विदेश में अच्छे पद पर नौकरी और ऊँची सैलरी का झांसा देकर मालदीव भेज दिया और वहाँ उसे मानव तस्करों के हाथो 25 लाख रूपये में बेच दिया। युवक किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस घर आ पाया है। युवक ने बताया कि उक्त व्यक्ति ने नौकरी के नाम पर उसके परिवार से 2 लाख रूपये भी ठग लिए थे, जो उसने वापस भी नहीं किए। पीड़ित की ओर से मानवाधिकार आयोग में मामले की पैरवी कर रहे मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने बताया कि पूरे उत्तर बिहार में मानव तस्करों का गिरोह काफी सक्रिय है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी जैसे घृणित कार्य को बढ़ावा दे रहे है, जिला प्रशासन सहित सरकार को अविलम्ब ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए,जिससे मानव तस्करी की घटना को रोका जा सके।

NHRC notice to Odisha govt on plight of displaced people due to wildlife sanctuaries

https://www.msn.com/en-in/news/India/nhrc-notice-to-odisha-govt-on-plight-of-displaced-people-due-to-wildlife-sanctuaries/ar-AA1veZXC

Story by SNS

• 19h • 2 min read

The **National Human Rights Commission** has issued notice to Odisha Chief Secretary on the plight of around 10 lakh people facing displacement due to wildlife sanctuaries and denial of basic human rights to them by the state.

The top rights panel acting on a petition moved by rights lawyer Radhakanta Tripathy asked the chief secretary to take appropriate action within 8 weeks and comply with an action taken report.

The State with its rich forest cover has 19 wildlife sanctuaries with as many as 14 of them continuing to have human settlements inside the notified sanctuary area.

Bhitarkanika Wildlife Sanctuary has the highest 358 villages followed by 125 in Satkosia and 65 in Kotagarh. The state's biggest tiger reserve Similipal also has 56 human settlements in its jurisdiction, while Baisipalli in Nayagarh has 62 villages. Sunabeda Wildlife Sanctuary, a proposed tiger reserve, also has 26 villages while Badrama has 27 and Karlapat 19. Kapilash and Khalasuni wildlife sanctuaries have one village each within their protected areas while Hadgarh has two and Chandaka three.

Puri, Chilika, Gahirmatha, Nandankanan and Debrigarh are the only five wildlife sanctuaries that do not have human settlements anymore. Debrigarh Wildlife Sanctuary, which has received NTCA's in-principle approval as a tiger-reserve, was made free from human settlements only last year.

These people have neither pucca houses nor the basic amenities, bare necessities in the aftermath of displacements due to sanctuaries or tiger reserves in Odisha. The issues of denial and deprivation of human rights continues till date due to failure, negligence and inaction of the Government Authorities, the petition claimed.

Citing the instance of Charigharia village within the Bhitarkanika national park in Kendrapara district, the petition noted that the government has ignored their forest right act claim of displaced people in conferring them the land record of rights.

STATESMAN, Online, 5.12.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC notice to Odisha govt on plight of displaced people due to wildlife sanctuaries

https://www.thestatesman.com/india/nhrc-notice-to-odisha-govt-on-plight-of-displaced-people-due-to-wildlife-sanctuaries-1503372078.html

The top rights panel acting on a petition moved by rights lawyer Radhakanta Tripathy asked the chief secretary to take appropriate action within 8 weeks and comply with an action taken report.

SNS | Bhubaneswar | December 4, 2024 1:16 pm

The **National Human Rights Commission** has issued notice to Odisha Chief Secretary on the plight of around 10 lakh people facing displacement due to wildlife sanctuaries and denial of basic human rights to them by the state.

The top rights panel acting on a petition moved by rights lawyer Radhakanta Tripathy asked the chief secretary to take appropriate action within 8 weeks and comply with an action taken report. The State with its rich forest cover has 19 wildlife sanctuaries with as many as 14 of them continuing to have human settlements inside the notified sanctuary area.

Bhitarkanika Wildlife Sanctuary has the highest 358 villages followed by 125 in Satkosia and 65 in Kotagarh. The state's biggest tiger reserve Similipal also has 56 human settlements in its jurisdiction, while Baisipalli in Nayagarh has 62 villages. Sunabeda Wildlife Sanctuary, a proposed tiger reserve, also has 26 villages while Badrama has 27 and Karlapat 19. Kapilash and Khalasuni wildlife sanctuaries have one village each within their protected areas while Hadgarh has two and Chandaka three.

Puri, Chilika, Gahirmatha, Nandankanan and Debrigarh are the only five wildlife sanctuaries that do not have human settlements anymore. Debrigarh Wildlife Sanctuary, which has received NTCA's in-principle approval as a tiger-reserve, was made free from human settlements only last year.

These people have neither pucca houses nor the basic amenities, bare necessities in the aftermath of displacements due to sanctuaries or tiger reserves in Odisha. The issues of denial and deprivation of human rights continues till date due to failure, negligence and inaction of the Government Authorities, the petition claimed.

Citing the instance of Charigharia village within the Bhitarkanika national park in Kendrapara district, the petition noted that the government has ignored their forest right act claim of displaced people in conferring them the land record of rights.

इंदौर कोर्ट ने चूड़ीवाले तस्लीम अली को किया बरी, छेड़छाड़ और दो आधार कार्ड की बात पुलिस नहीं कर पाई साबित

https://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/indore/indore-court-acquitted-bangle-seller-tasleem-ali-police-not-prove-molestation-and-two-aadhar-cards/articleshow/115958835.cms

Edited byमुनेश्वर कुमार | Reported byKarishma Kotwal | टाइम्स न्यूज नेटवर्क4 Dec 2024, 10:24 am

Indore Bangle Seller Taslim Ali Acquitted: इंदौर कोर्ट ने चूड़ीवाले तस्लीम अली को बरी कर दिया है। तस्लीम अली पर एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। साथ ही उसके साथ मारपीट भी की गई थी। वहीं, सुनवाई के दौरान पीड़िता भी आरोपी को नहीं पहचान पाई। साथ ही दो आधार कार्ड वाली बात भी कोर्ट में पुलिस साबित नहीं कर पाई।

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने चूड़ी बेचने वाले तस्लीम अली को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। तस्लीम पर 2021 में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और फर्जी नाम से व्यापार करने का आरोप था। यह मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई निवासी तस्लीम के साथ हुआ था। इस घटना के बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। तस्लीम के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों को भी गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष तस्लीम पर लगे आरोप साबित करने में नाकाम रहा है।

चूड़ी बेचने के दौरान लगा था छेड़छाड़ का आरोप

22 अगस्त 2021 को, उत्तर प्रदेश के हरदोई के 25 वर्षीय तस्लीम अली, इंदौर के बाणगंगा इलाके में चूड़ियां बेच रहे थे। तभी भीड़ ने उन पर फर्जी पहचान और नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए हमला कर दिया। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस स्टेशन पर देर रात विरोध प्रदर्शन हुआ। **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने सरकार से रिपोर्ट मांगी। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
कथित आरोपियों की हुई थी गिरफ्तारी

तस्लीम ने भी अपने ऊपर हुए हमले की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उनके कथित हमलावरों को भी गिरफ्तार किया गया। तत्कालीन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया था कि तस्लीम 'एक अलग समुदाय से होने के बावजूद हिंदू नाम से व्यापार कर रहा था'। उन्होंने कहा था कि 'दोनों पक्षों के खिलाफ' कार्रवाई की गई है।

पॉक्सो के तहत हुई थी कार्रवाई

तस्लीम पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करना), 354-A (यौन उत्पीड़न), 467 (जालसाजी), 468, 471, 420 (धोखाधड़ी), 506 (धमकी) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 (यौन

उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

चार महीने तक जेल में रहा तस्लीम

तस्लीम को लगभग चार महीने जेल में बिताने पड़े। 2021 में एमपी हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपों की प्रकृति को देखते हुए उन्हें हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी नोट किया कि तस्लीम का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

नाम गलत हो गया था दर्ज

सुनवाई के दौरान, हरदोई के बीरैचमऊ ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने अदालत को बताया कि वे तस्लीम को 'मुस्लिम बंजारा' के रूप में जानते हैं। वह विभिन्न राज्यों में चूड़ियां बेचता है। अदालत ने पाया कि तस्लीम के पास दो आधार कार्ड थे। एक में उसका नाम 'गोलू सिंह' लिखा था। वकील शेख अलीम ने स्पष्ट किया कि 'गोलू' एक उपनाम था। 'सिंह' गलती से उनके पिता के उपनाम से लिया गया था, जो एक आधिकारिक दस्तावेज में गलत दर्ज हो गया था।

अधिकारी ने कहा कि हो जाती हैं ऐसी गलतियां

अदालत ने यह भी देखा कि एक स्थानीय अधिकारी ने अपने बयान में स्वीकार किया कि मतदाता पहचान पत्र अक्सर आधिकारिक दस्तावेजों के मिलान के बजाय नामों की यादों के आधार पर जारी किए जाते हैं। इस प्रथा के कारण औपचारिक नामों और उपनामों के बीच अक्सर विसंगतियां होती हैं। इसके अलावा, अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि तस्लीम के पिता के पहचान दस्तावेजों में भी ऐसी ही त्रुटियां थीं। उनकी संपत्ति के रिकॉर्ड में एक तकनीकी गलती के कारण, तस्लीम के पिता, मोहर अली, को आधिकारिक कागजात में 'मोहर सिंह' के रूप में दर्ज किया गया था।

तस्लीम के आधार कार्ड में दिखी यह गलती

यह त्रुटि बाद में तस्लीम के आधार कार्ड में दिखाई दी, जहां उनके पिता का नाम 'मोहर अली' के बजाय 'मोहर सिंह' के रूप में दर्ज था।

जनप्रतिनिधियों ने बताया कि तस्लीम के परिवार ने गांव में एक घर बनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसके नाम पर 1.2 लाख रुपये मंजूर किए गए थे। ऋण प्राप्त करने के लिए आधार

कार्ड का उपयोग किया गया था, लेकिन ऋण राशि अभी जारी नहीं हुई है।

पीड़िता भी आरोपी को नहीं पहचान पाई

अपने फैसले में, जस्टिस रश्मि वाल्टर ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी ने लड़की से छेड़छाड़ की थी। लड़की भी तस्लीम की पहचान करने में विफल रही। जज ने कहा कि लड़की के माता-पिता ने आरोपी द्वारा दी गई धमकियों के बारे में कुछ नहीं बताया। हरदोई के गवाहों के बयानों को देखते हुए जाली दस्तावेजों (आधार कार्ड) के आरोप भी साबित नहीं हुए। इसलिए तस्लीम को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। तस्लीम के वकील शेख अलीम ने बताया कि हमले का मामला, जिसमें तस्लीम शिकायतकर्ता हैं, जिला अदालत में लंबित है।

जन वितरण प्रणाली की दुकानों में गड़बड़ी: मानवाधिकार आयोग के आदेश पर हुई जांच

https://uditvani.in/jharkhand/saraikela/checking-at-pds-center/

By UditVaniDigitalDecember 4, 2024

उदित वाणी, जमशेदपुर: **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** के आदेशानुसार Special Rapporteur सुचित्रा सिन्हा द्वारा सराइकेला के नीमडीह प्रखंड और जमशेदपुर में जन वितरण प्रणाली की दुकानों की जांच की गई.

जांच के दौरान मिली अनियमितताएं

जांच के दौरान कई जन वितरण प्रणाली की दुकानें बंद पाई गई. इन दुकानों के मालिकों को दूरभाष द्वारा सूचित करने के बावजूद भी वे उपस्थित नहीं हुए. जांच में यह भी पाया गया कि कुछ दुकानों में राशन को वजन करने के लिए बटखरा रखा हुआ था, जो कि वर्जित है.

कार्डधारियों की शिकायतें

कुछ कार्डधारियों ने बताया कि उनके अंगूठे का छाप बायोमेट्रिक पर 15 दिन पहले ही ले लिया जाता है और उन्हें राशन भी नहीं दिया जाता है. कुछ कार्डधारियों ने यह भी बताया कि डीलर दुकान ही नहीं खोलते हैं और महीने में एक या दो दिन ही खोलते हैं और राशन वितरण करते हैं.

जांच के दौरान इन दुकानों में पाई गई अनियमितता

1. Maa Mansa Mahila Samiti PDS Centre, Adardih
2. Chandra Mohan Gorai PDS Centre, Adardih
3. Om Prakash Sharma PDS Centre,Sonari
4. Amresh Kumar PDS Centre, Sakchi
5. Anand Deo Rajak PDS Centre,Sonari
6. Anita Devi PDS Centre, Sonari
7. Ajay Kumar PDS Center, Jugsalai
8. Anil Kumar Chaudhary PDS Centre, Jugsalai
9. Binod Kumar Jha PDS Centre, Jugsali
10. Lal Sardar PDS Centre, Jugsalai

इन सभी PDS centre का दौरा करने पर पाया की इन सभी दुकानों राशन को वजन करने के लिए बटखरा रखा हुआ है और कुछ दुकानों में दो-दो डिजिटल मशीने वजन करने के लिय रखी गई है जो की इनका रखन वर्जित है. इन सभी दुकानों का भौतिक सत्यापन करने पर गोडाउन स्टॉक और स्टॉक रजिस्टर में मिलन करने पर दोनों में काफी अंतर पाया.

मानवाधिकार आयोग में 60 फीसदी शिकायतें पुलिस के खिलाफ पहुंच रही

https://www.livehindustan.com/ncr/gurgaon/story-haryana-human-rights-commission-reports-high-police-complaints-and-ppp-issues-201733334415542.html

गुरुग्राम, गौरव चौधरी। हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) के पास आने वाली शिकायतों में सबसे ज्यादा शिकायतें पुलिस के खिलाफ आती है। आयोग के पास आने वाली

Newswrap हिन्दुस्तान, गुड़गांव Wed, 4 Dec 2024 11:17 PM

गुरुग्राम। हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) के पास आने वाली शिकायतों में सबसे ज्यादा शिकायतें पुलिस के खिलाफ आती है। आयोग के पास आने वाली कुल शिकायतों में से 60 फीसदी से ज्यादा शिकायत पुलिस के खिलाफ होती है। मामलों में सही से जांच नहीं करने के साथ-साथ पीड़ित के साथ पुलिसकर्मियों को सही व्यवहार नहीं होना प्रमुख है। आयोग के पास आने वाली शिकायतों पर पुलिस विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाता है। हालांकि की पुलिस की तरफ से सही समय पर और सटिक जवाब मिलता है। जबकि नगर योजनाकार विभाग, श्रम विभाग और वन विभाग के खिलाफ आने वाली शिकायतों में समय पर और सही जवाब नहीं मिल पाता, जिस कारण कई बार पीड़ित को न्याय मिलने में देरी भी होती है।

परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से जुड़ी शिकायतें हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) के दरवाजे तक पहुंचनी शुरू हो गई हैं। एचएचआरसी को प्राप्त सभी शिकायतों में से लगभग 5% पीपीपी से संबंधित हैं। अधिकांश शिकायतें पीपीपी में अधिक आय दर्शाने के कारण सरकारी लाभ न मिलने से संबंधित हैं। अफसरशाही को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई डिजिटल पहल लोगों के लिए सरकारी योजना तक पहुंच को आसान बनाती है और छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाती है, लेकिन यह योजना उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनकर उभरी है। सिस्टम में डेटा अपडेट करने के लिए सरकारी कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले डिजिटल पहल और पीपीपी का खराब कार्यान्वयन लोगों की प्रमुख शिकायतें थीं। मार्च में मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद नायब सिंह सैनी ने पीपीपी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए विशेष शिविर शुरू किए थे

हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) के सदस्य दीप भाटिया ने बताया कि उनके पास पीपीपी में विसंगतियों के बारे में शिकायतें मिलनी शुरू हो गई। हरियाणा सरकार सरकारी योजना के वितरण के लिए पीपीपी का उपयोग कर रही है। वृद्धावस्था पेंशन, विंडो पेंशन और कई अन्य लाभों जैसी कई योजनाओं के लिए व्यक्ति या परिवार की वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। आय सीमा बढ़ने से लोग योजना के लाभ से अपात्र हो जाएंगे। पीपीपी से संबंधित कई शिकायतें मिली हैं, जिसमें लोगों ने डेटा में विसंगतियों के कारण सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि एचएचआरसी को प्राप्त कुल शिकायतों में से लगभग 5% पीपीपी से संबंधित हैं।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे से अवगत है और इसके समाधान के लिए कई पहल की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि डेटा में विसंगतियों के बारे में शिकायत मिलने के बाद एक टीम सत्यापन के लिए शिकायत के घर का दौरा करती है और आवश्यक सुधार किया जाता है।

मीडिया कार्यकर्ताओं का मामला मानव अधिकार आयोग में जाएगा : जगन रेड्डी

https://www.arthparkash.com/case-of-media-activists-will-go-to-human-rights-commission

By Sorit Chaudhary -- Thursday, 05 Dec, 2024

(अर्थप्रकाश / बोम्मा रेडड्डी)

ताडेपल्ली : Case of media activists will go to Human Rights Commission: (आंध्र प्रदेश) पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने पार्टी के सोशल मीडिया कार्यकर्ता पुली सागर को आश्वासन दिया है कि पार्टी उनके साथ खड़ी है और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा।

दलित कार्यकर्ता को राजामहेंद्रवरम में पुलिस ने परेशान किया और इंस्पेक्टर ने अमानवीय तरीके से व्यवहार किया और उसकी जाति को लेकर उसे डांटा और पीटा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी इस मामले को **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** और राष्ट्रीय एससी, एसटी आयोग के समक्ष उठाएगी।

इससे पहले पीड़ित ने पार्टी कार्यालय में मीडिया को बताया कि राजामहेंद्रवरम इंस्पेक्टर ने उसे हवालात में बंद कर दिया और उसकी जाति के नाम पर उसे परेशान करने के अलावा उसकी पिटाई भी की। उनके साथ मौजूद पूर्व सांसद मरगनी भरत और पूर्व विधायक टीजेआर सुधाकर बाबू ने कहा कि सरकार झूठे मामले दर्ज करके सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। वे एक ही मुद्दे को लेकर अलग-अलग जगहों पर कई मामले दर्ज कर रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहेंगे।

विदेश में नौकरी का लालच देकर मानव तस्करों ने 25 लाख में बेचा

https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/muzaffarpur/human-smugglers-sold-25-lakh

ByPrabhat Khabar News Desk | December 5, 2024 12:49 AM

-विदेश में नौकरी का लालच देकर मानव तस्करों ने 25 लाख में बेचा

-अंतरराष्ट्रीय मानव तस्कर गिरोह का शिकार युवक पहुंचा मानवाधिकार आयोग

मुजफ्फरपुर. विदेश में नौकरी का लालच देकर पूर्वी चंपारण के एक युवक को 25 लाख में बेच दिया गया है. पीड़ित किसी तरह जान बचा कर घर भाग गया. उसने अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से बिहार मानवाधिकार आयोग एवं **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** में याचिका दर्ज करायी है. अधिवक्ता ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसके तार मुजफ्फरपुर जिले से जुड़े हुए हैं. पीड़ित युवक मोहम्मद इमरान पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर थाना अंतर्गत भवानीपुर गांव का रहने वाला है.

ऊंची सैलरी का झांसा देकर मालदीव भेज दिया

पीड़ित ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले के एक व्यक्ति ने उसे विदेश में अच्छे पद पर नौकरी और ऊंची सैलरी का झांसा देकर मालदीव भेज दिया. वहां उसे मानव तस्करों के हाथों 25 लाख रुपये में बेच दिया . वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस घर आ पाया है. युवक ने बताया कि उक्त व्यक्ति ने नौकरी के नाम पर उसके परिवार से 2 लाख रुपये भी ठग लिए थे, जो उसने वापस भी नहीं किये. पीड़ित की ओर से मानवाधिकार आयोग में मामले की पैरवी कर रहे मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि पूरे उत्तर बिहार में मानव तस्करों का गिरोह काफी सक्रिय है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं. जिला प्रशासन सहित सरकार को अविलम्ब ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.बता दें कि पांच दिन पहले ही गोपालगंज में मानव तस्करी के मामले में एनआइए ने छापेमारी की थी. करजा थाना के चमरुआ से मामला जुड़ने के बाद यहां भी मो आबिद के घर पर छापेमारी की गयी थी. बिहार के युवकों को कंबोडिया भेजने का मामला सामने आया था.